भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *133

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन

*133. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करने और देश में बांधों की सुरक्षा से संबंधित संपरीक्षा कराने का अधिदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सुरक्षा से संबंधित ऐसी संपरीक्षा किन-किन राज्यों में की गई है;

(ग) क्या मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित संपरीक्षा की जानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित संपरीक्षा शीघ्रातिशीघ्र कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *133 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): जी नहीं। संसद द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के पारित हो जाने के उपरांत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप फरवरी 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की स्थापना की गई थी ताकि देश भर में बांध सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों की निगरानी की जा सके और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) द्वारा विकसित की गई नीतियों, दिशानिर्देशों और मानक लागू किए जाने के साथ-साथ विनिर्दिष्ट बांधों के संबंध में उचित निगरानी, निरीक्षण और उनके रखरखाव का कार्य किया जा सके।

बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही बांधों के संचालन और उनके रखरखाव के कार्य का दायित्व, मुख्य रूप से बांध मालिकों का होता है, जो प्रमुख रूप से राज्य सरकारें और केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 31 के अनुसार, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध मालिक द्वारा अपने बांध की सुरक्षा इकाइयों के माध्यम से प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में एक वार्षिक आधार पर, मानसून से पहले और मानसून के पश्चात, निरीक्षण करने और उस निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को अग्रेषित करना अनिवार्य कर दिया गया है जो उस रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और विनिर्दिष्ट बांध मालिकों को बांध की सुरक्षा, कमियों और उनसे संबंधित सुधारात्मक उपायों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करता है, यदि कोई हो तो।

तदनुसार, बांध सुरक्षा इकाईयों द्वारा जिन्हें इसी उद्देश्य से गठित किया गया है, मुल्लापेरियार बांध सहित सभी विनिर्दिष्ट बांधों का मानसून से पहले और मानसून के पश्चात निरीक्षण किए जा रहे हैं।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन को अधिदेशित किया गया है। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, बांध की व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा करने का दायित्व केवल बांध मालिकों और राज्यों का होता है। बांध मालिक होने के नाते मुल्लापेरियार बांध की व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार की है।

*****